चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 07.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 07.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने के साथ गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री अनिल कुमार व आरक्षी नन्दलाल राम,आरक्षी गुड्डू यादव थाना मऊ द्वारा अभियुक्त जगतनारायण पुत्र नन्नलाल निवासी अर्जुनपुर खण्डेहा थाना मऊ को 26 अदद पाउच के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(2). उ0नि0 श्री राजेश कुमार रायव आरक्षी ललित सोनी थाना सरधुवा द्वारा अभियुक्त बुद्धराज पुत्र स्व0 घोटानी निवासी ग्राम सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). उ0नि0 श्री अनुराग सिंह व आरक्षी शुभम शर्मा राजापुर द्वारा अभियुक्त राजीव मिश्रा पुत्र प्रेमनारायण मिश्रा निवासी पटना खालसा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकुमार व उनकी टीम द्वारा अ0सं0 3183/2009 धारा 380 भादवि के वारण्टी अभियुक्त चुनवाद उर्फ मनोज पुत्र रामलखन निवासी दुंगवा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप

2. आरक्षी शुभम यादव

(5). पुलिस अधईक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1). व0उ0नि0 श्री मनीष कुमार मय हमराह का0 हरिशरण व का0 सन्तोष कुमार द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त 01. सुनील कुमार रैदास पुत्र कमला प्रसाद रैदास निवासी ग्राम अशोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट सम्बन्धित मु0नं0 257/22 धारा 363/366 भादवि थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट व वारंटी अभियुक्त 01. हरीशंकर सोनी पुत्र रामआसरे सोनी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट सम्बन्धित परिवाद सं0- 4753/24 धारा 138 NI Act थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 जंगबहादुर सिंह , हे0का0 कृष्ण पाल सिंह, का0 मृत्युंजय पाण्डेय द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त 01. अरविन्द सिंह पुत्र शिव सिंह निवासी ग्राम चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट सम्बन्धित मु0सं0 506/23 ,अ0सं0 47/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना बरगढ़ पुलिस ने चाकू से हमला कर चोट पहुँचाने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

बरामदगी-

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय-

बरगढ़ कस्बा,07.06.025,12.00 बजे

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 05.04.05 को वादिया गेदरुआ पत्नी स्व0 विजय आदिवासी निवासी ग्राम सिंगल पुरवा मौजा कोल मजरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट नो थाना बरगढ़ पर सूचना दी कि दिनाँक 04.04.025 को उसके ही गाँव के निवासी पवन रजक,राकेश रजक पुत्रगण स्व बड़कू रजक दारु के नशे में उसके घर पहुँचकर गाली गलौच करने लगे जिस पर मेरे लड़के सूरज ने उन्हे मना किया तो दोनो भाई मारपीट करने लगे व चाकू से हमला कर मेरे लड़के को घायल कर दिए व जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 22/025 धारा 118(1),115(2),351(2),352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री अमरेश चन्द्र तिवारी व उनकी टीम को लगाया गया था।

आज दिनाँक 07.06.025 को उ0नि0 श्री अमरेश चन्द्र तिवारी व उनकी टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त पवन रजक पुत्र स्व0 बडकू रजक नि० ग्राम सिंगल पुरवा कोलमजरा थाना बरगढ चित्रकूट को कस्बा बरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से हमला करने वाली चाकू के बारे में पूंछताछ की गयी तो बताया कि सूरज को चाकू से घायल करने के बाद जल कल निगम में चार दिवाल से करीब 100-150 मी0 पहले जंगली छुल के पेड के झांडी में चाकू को छिपा दिया था जिसे थाना टीम द्वारा मौके पर जाकर बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अमरेश चन्द्र तिवारी थाना बरगढ़
2. का सुलभ पटेल
3. का0 अखिलेख कुमार यादव
4. क0 नौरभ